न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 69/2021 जिला दौसा

1. श्री रामजीलाल पुत्र रामधन जाति ब्राहमण निवासी भण्डारी तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकराय

—रेस्पॉडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 08.09.2021 पारित न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा प्रकरण संख्या 23/2021 उनवानी रामजीलाल बनाम राज0 सरकार एवं आदेश 07.01.2021 पारित न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय प्रकरण संख्या 1/2021 सरकार बनाम रामजीलाल के विरूद्ध।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —25.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 08.09.2021 के खिलाफ दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

यह कि अपीलांट रामजीलाल पुत्र रामधन द्वारा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दोसा के समक्ष तहसीलदार सिकराय द्वारा एल. आर. एक्ट. 1956 की धारा 91 उपधारा (1) व (2) के तहत् अपीलांट को भूमि खसरा नं. 134 कुल रकबा 0.50 है0 किस्म गैरमूमकिन पहाड पर पत्थर की रोडी डालकर सम्वत् 2077 से अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमण शुदा भूमि से बेदखल के आदेश और लगान 4.50 का 50 गुना पैनल्टी 2.25 रूपये लगाने से व्यथित होकर तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 07.01.2021 को निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सिकराय से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर दिनांक 08.09.2021 को अपील खारिज कर तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 07.01.2021 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 08.09.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामजीलाल पुत्र रामधन द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 08.09.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया तहसीलदार सिकराय ने अपीलांट को एल. आर. एक्ट. 1956 की धारा 91 के तहत् भूमि खसरा नं. 134 कुल रकबा 0.50 है0 किस्म गैरमूमकिन पहाड पर पत्थर की रोडी डालकर सम्वत् 2077 से अतिक्रमण करने के संबंध में नोटिस जारी किया जिसके जवाब में अपीलार्थी ने जवाब पेश किया कि खनिज विभाग द्वारा उसके पुत्र को एम एल संख्या 731/97 व 734/97 विधिवत रूप से दिनांक 01.08.2000 को आंवटित की गई थी जिसका खनिज पट्टा उसके पास है और क्रेशर के संचालन का कार्य किया जा रहा है। उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी द्वारा केवल

Scanned by CamScanner

शक के आधार पर उक्त क्रेशर को वन भूमि में मानते हुये न्यायालय में चालान पेश कर दिया एवं मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिनांक 01.01.2007 को सर्वे के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद ग्रस्त भूमि खसरा नं. 134 की कोई भी मौका रिपोर्ट संबंधित पटवारी से तैयार करवाये बिना स्वयं ही मौके पर जाकर फर्द जप्ती एवं कुर्की की कार्यवाही की गई है जो कि विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सीमाज्ञान कराये धारा 91 की कार्यवाही की है जिसमें यह नहीं बताया गया है कि खसरा नं. 134 कुल रकबा 26.30 जो करीब 105 बीघा है उसके किस दिशा व किस जगह पर 0.50 है0 भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है इसका कोई खुलासा नहीं है तथा जबरन अतिक्रमी मानते हुये दोनो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सिकराय दिनांक 07.01.2021 एवं अति0 जिला कलक्टर, दौसा के आदेश दिनांक 08.09.2021 को निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार सिकराय से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार भी ग्राम कालवान के आराजी खसरा नं. 134 गै0मु0 पहाड की भूमि रकबा 26.30 है0 में राज क्रेशर कालवान ने 0.50 है0 पर अतिक्रमण कर रोडी डाल रखी थी जिसे कब्जेराज लिया गया था। अतिक्रमी के पास भूमि का कोई स्वामित्व नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर, दौसा एवं तहसीलदार सिकराय उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलकर्ता को खनिज विभाग द्वारा खनिज पट्टा जारी किया हुआ है। यह बात सिविल न्यायालय के निर्णय से भी जाहिर होती है। प्रश्न यह है कि अपीलकर्ता के क्रेशर एवं अन्य संरचनाएँ एवं मैटेरियल उसको आवंटित पट्टे की भूमि पर हैं या पट्टे की भूमि से बाहर हैं? अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि निर्णय दिनांक 07.01.2021 में खनिज विभाग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है परन्तु इस तरह की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है बल्कि वन विभाग की कुछ रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें अपीलकर्ता के स्टोन क्रेशर एवं अन्य संरचना को खनिज पट्टे की भूमि पर ही स्थित होना बताया गया है। सिविल न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में एवं वन विभाग, खनिज विभाग और राजस्व विभाग के विरूद्ध आदेश भी पारित किया गया है जिसमें अपीलार्थी को खनिज विभाग द्वारा आंवटित भूमि पर ही काबिज होना बताया गया है। कार्यालय उप पन संरक्षक दौसा के पत्रांक दिनांक 30.03.2017 के अनुसार स्टोन क्रेशर जो तहसील के गांव कालवा मे स्थापित है वन भूमि में नहीं आता है। इस संबंध में वन विभाग, खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त जॉच दिनांक 09.04.2009 को कराया जाना बताया गया है परन्तु पत्रावली में इस तरह की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार कार्यालय उप वन संरक्षक दौसा के पत्र क्रमांक 20.03.2017 में भी मैसर्स स्वराज स्टोन क्रेशर एम/एल नम्बर 731/97 में स्थित होना बताया गया है। इस प्रकार पत्रावली में ऐसी कोई पैमाइश रिपोर्ट या वन विभाग, खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग की कोई संयुक्त जॉच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सके की अपीलकर्ता के द्वारा खनिज पट्टे की भूमि पर स्टोन क्रेशर ना लगाकर खनिज पट्टे की भूमि से बाहर अन्य खसरा नम्बर पर या अन्य भूमि पर स्टोन क्रेशर एवं अन्य संरचना एवं मैटेरियल डाल रखा है। उपयुक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय निर्णय दिनांक 07.01.2021 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा निर्णय दिनांक 08.09.2021 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner